rojgar with ankit

Polity

1960 बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में, क्या किसी राज्य या उसके भू-भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है?

In the Berubari Case, the question came up for opinion before the Supreme Court whether the power of Parliament to alter the areas and boundaries of States under Article 3 includes the power to Cede any State or any part of its territory to a foreign State?

Art. 3 ⇒ संसद
- → राज्य का गठन
- → क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

→ साधारण बहुमत

Q⇒ क्या संसद भारत के किसी भाग को Art. 3 के तहत अन्य देश को दे सकती है?

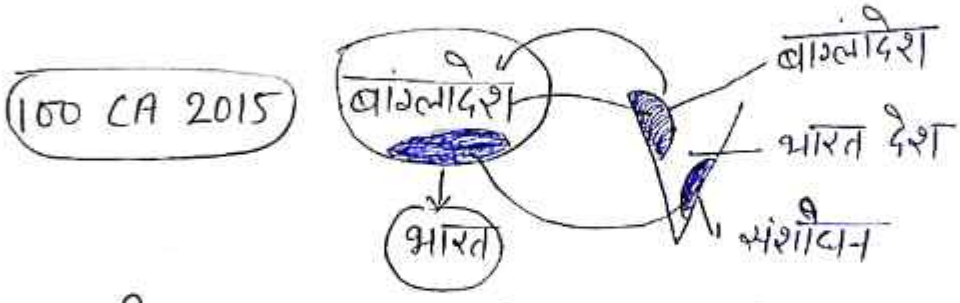
⇓

नहीं, ऐसा करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन (Amendment) करना होगा

संसद ← बाहरी क्षेत्र — जब इसे भारत का हिस्सा बनायेगी तब भी संशोधन

न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद - 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा।
The Court said that the parliament Cannot do this through Ordinary law. For this, a Constitutional amendment will have to be made under Article 368.

अतः संसद द्वारा 9 वां संविधान संशोधन (1960) पारित कर बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया।
So, the Berubari Union Territory was handed over to Pakistan by passing the 9th Constitutional Amendment (1960) by the parliament and some India territories were handed over to Bangladesh by the 100th Constitutional Amendment Act 2015.



भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन Reorganization of Statis On linguistic basis

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉ.

राजेन्द्र प्रसाद ने June 1948 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय 'भाषायी प्रान्त आयोग' (Linguis-tic Provinces Commission) का गठन किया। → धर आयोग

After independence, in view of the demand for reorganizati on of States on linguistic basic. Constituent Assembly Chairman Dr. Rajendra prasad Constituted a four-member 'Linguis-tic Provinces Commission' under the Chairmanship of Justice S.K. Dhar on 27 November 1947

धर आयोग ⇒ गठन ⇒ June 1948

- → डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा गठन
- → अध्यक्ष ⇒ एस० के० धर
- सदस्य ⇒ 4
- क्या भाषायी आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं?
- → रिपोर्ट ⇒ नहीं।

आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

In this report presented on 10 December 1948, the Commission Suggested reorganization of States on the basis of administrative, geographical, financial and developmental Convenience Instead of language

⇒ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1948 में JVP समिति का गठन किया गया।

जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया (JVP) की तीन सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया।
1948

A three-member Committee of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and pattabhi Sita Ramaiya (JVP) was formed. This Committee also opposed the reorganization of states on linguistic basis in its rupart presented on 1 April 1949.

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुलू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 58 दिनों बाद 15 दिसम्बर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a Separate State on the basis of language for Telugu speakers, potti Sri Ramulu started a fast unto death. who died 58 days later on 15 December 1952

51 + 2 = 58

56 days ⇒ तबियत खराब
⇓
अस्पताल (Hospital) ⇒ 2 कोमा — 2 दिन बाद Death

आमरण अनशन

फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953

को किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।

As a result, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a Separate State for Telugu Speakers, Andhra Pradesh. It was formed on 1 October 1953. It was the first State to be formed on linguistic basis. Q⇒ श्रीमुल्लु की मृत्यु कब हुई?

Q⇒ भारतीय आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य? (1 Oct. 1953)

Q⇒ ... कितने दिनों में?

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सदस्य थे-

After the formation of a Separate State for Telugu Speakers, the demand for a Separate state by other language speakers also intensified; for which a three member Committe headed by Justice Fazal Ali was Considered in 1953

फजल अली आयोग → गठन ⇒ 1953 (राज्य पुनर्गठन आयोग)

→ अध्यक्ष ⇒ न्यायमूर्ति फजल अली, अन्य सदस्य-2 (हृदयनाथ कुंजरू, के. एम. पनिक्कर)

→ कुल सदस्य ⇒ 3

के. एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-Orga-nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955

rojgar with ankit

को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम - 1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This Commission Submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act- 1956 was passed.